

कार्यालय:- जिला शिक्षा अधिकारी , प्रा०शि० पिथौरागढ़ ।

Email:- deobasicpithoragarh@gmail.com

पत्रांक/बेसिक स्थापना/ 10758 /स्थानान्तरण/2026-27 दिनांक:- 29 अगस्त, 2026

सेवा में ,

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा
उत्तराखण्ड, देहरादून ।

विषय:- उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1) (ख) के अन्तर्गत (एक) से पाँच में वर्णित प्राविधानों के आलोक में अनुरोध के आधार पर किये गये स्थानान्तरण आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासनादेश संख्या 410893/XXIV-B-1/2026/13(12)2011 TC-1 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-01 दिनांक 07 जुलाई, 2026 के द्वारा विभागीय आवश्यकता के दृष्टिगत स्थानान्तरण सत्र 2026-27 हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा 17 (1) (ख) के अन्तर्गत (एक) से (पाँच) में वर्णित प्राविधानों के आलोक में अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण आदेश निर्गत किये गये हैं, जो आपको विभागीय वेबसाईट www.https://schooleducation.uk.gov.in पर अपलोड किये जाने हेतु पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं।

अतः स्थानान्तरण आदेश विभागीय वेबसाईट में अपलोड करने की कृपा कीजिएगा।

संलग्नक:- उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 17 (1) (ख) के (एक से (पाँच) के अन्तर्गत 10 स्थानान्तरण आदेश की प्रति ।

भारतीय,
(तरुण कुमार पन्त)
जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, पिथौरागढ़।

कार्यालय:- जिला शिक्षा अधिकारी , प्रा0शि0 पिथौरागढ़।

Email:- deobasicpithoragarh@gmail.com

आदेश संख्या/प्रा0शि0/ 28241/स्था0अधि0अनु0स्था0/2026-27 दिनांक :- 27 अगस्त, 2026

::विज्ञप्ति/स्थानान्तरण आदेश::

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम-01 वर्ष-2018) के क्रम में उक्त वर्णित अधिनियम की धारा 16(01) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर तथा उत्तराखण्ड शासन, कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 410684/XXX (2)/2026 -E 26941 दिनांक 06 जुलाई, 2026 एवं शासनादेश संख्या 410893/XXIV-B-1/2026/13(12)2011 TC-1 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-01 दिनांक 07 जुलाई, 2026 के आलोक में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून के पत्रांक- सेवा-2/1519-20/स्थानान्तरण/2026-27 दिनांक 10 जुलाई, 2026, में दिये गये निर्देशों के क्रम में स्थानान्तरण अधिनियम की उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा 17 (1) (ख) के खण्ड (एक) में वर्णित प्राविधानों के अनुसार निम्नांकित शिक्षकों (प्रा0अ0 प्राथमिक स्तर- गम्भीर रोगग्रस्त) को अनुरोध के आधार पर स्तम्भ 05 में अंकित विद्यालय में उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्पों के आधार पर निजी व्यय पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 सं0	शिक्षक का नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यरत विद्यालय	स्थानान्तरण विद्यालय का नाम	अनुरोध की उप श्रेणी	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07
01	बलवन्त सिंह कठायत	प्रा0अ0 प्राथमिक	रा0प्रा0वि0 भूल की अध्याली, बेरीनाग, पिथौरागढ़।	रा0प्रा0वि0 खेतीमंतोली बेरीनाग, पिथौरागढ़।	17(1)(ख) (एक)	-

ह0/-

(तरुण कुमार पन्त)

जिला शिक्षा अधिकारी

प्रारम्भिक शिक्षा, पिथौरागढ़।

नोट:- स्थानान्तरित शिक्षक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश के निर्गत होने के तीन (03) दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

पृ0सं0/प्रा0शि0/ 10716-24 /स्था0अधि0अनु0स्था0/2026-27 दिनांक:- उक्ततिथि।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01. जिलाधिकारी महोदय, पिथौरागढ़।

02. अपर जिलाधिकारी महोदय, पिथौरागढ़।

03. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।

04. मण्डलीय अपर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।

05. मुख्य शिक्षा अधिकारी, पिथौरागढ़।

06. वित्त एवं लेखाधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा पिथौरागढ़।

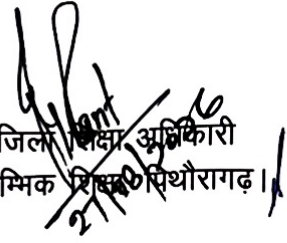
07. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद पिथौरागढ़ को इस आशय से प्रेषित की स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही एकल अध्यापक/अध्यापिका विद्यालय से स्थानान्तरित शिक्षकों के प्रतिस्थानी के आने के उपरान्त ही कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में विद्यालय शिक्षक विहीन न होने पायें।

08. सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका (द्वारा सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद पिथौरागढ़)

कार्यालय:- जिला शिक्षा अधिकारी , प्रा0शि0 पिथौरागढ़।

Email:- deobasicpithoragarh@gmail.com

09. स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका को इस आशय से प्रेषित कि वे एक सप्ताह के भीतर सम्बन्धित विकास खण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय से कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
10. कार्यालय सुरक्षित प्रति।


जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा पिथौरागढ़।

कार्यालय:- जिला शिक्षा अधिकारी , प्रा0शि0 पिथौरागढ़।

Email:- deobasicpithoragarh@gmail.com

आदेश संख्या/प्रा0शि0/ 282 (2)/स्था0अधि0अनु0स्था0/2026-27 दिनांक :- 27 अगस्त, 2026

::विज्ञप्ति/स्थानान्तरण आदेश::

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम-01 वर्ष-2018) के क्रम में उक्त वर्णित अधिनियम की धारा 16(01) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर तथा उत्तराखण्ड शासन, कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 410684/XXX (2)/2026 -E 26941 दिनांक 06 जुलाई, 2026 एवं शासनादेश संख्या 410893/XXIV-B-1/2026/13(12)2011 TC-1 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-01 दिनांक 07 जुलाई, 2026 के आलोक में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून के पत्रांक- सेवा-2/1519-20/स्थानान्तरण/2026-27 दिनांक 10 जुलाई, 2026, में दिये गये निर्देशों के क्रम में स्थानान्तरण अधिनियम की उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा 17 (1) (ख) के खण्ड (चार) में वर्णित प्राविधानों के अनुसार निम्नांकित शिक्षकों (प्र0अ0 प्राथमिक स्तर-सेवारत पति-पत्नी) को अनुरोध के आधार पर स्तम्भ 05 में अंकित विद्यालय में उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्पों के आधार पर निजी व्यय पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 सं0	शिक्षक का नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यरत विद्यालय	स्थानान्तरण विद्यालय का नाम	अनुरोध की उप श्रेणी	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07
01	श्रीमती हेमलता कन्याल	प्र0अ0 प्राथमिक	रा0प्रा0वि0 लोहाथल बेरीनाग, पिथौरागढ़।	रा0प्रा0वि0 लोहारगांव डीडिहाट, पिथौरागढ़।	17(1)(ख) (चार)	-
02	श्री राजेन्द्र लाल	प्र0अ0 प्राथमिक	रा0प्रा0वि0 लखतीगांव, डीडिहाट पिथौरागढ़	रा0प्रा0वि0 भडकटिया मूनाकोट, पिथौरागढ़।	17(1)(ख) (चार)	-
03	श्री दीपक चन्द्र पन्त	प्र0अ0 प्राथमिक	रा0प्रा0वि0 धामीगौड़ा, मूनाकोट पिथौरागढ़।	रा0प्रा0वि0 सुगौली, विण, पिथौरागढ़।	17(1)(ख) (चार)	-
04	श्री कुमुद कुमार पाण्डेय	प्र0अ0 प्राथमिक	रा0प्रा0वि0 मोडी कनालीछीना, पिथौरागढ़।	रा0प्रा0वि0 रई, विण पिथौरागढ़।	17(1)(ख) (चार)	-

ह0/-

(तरुण कुमार पन्त)

जिला शिक्षा अधिकारी

प्रारम्भिक शिक्षा, पिथौरागढ़।

नोट:- स्थानान्तरित शिक्षक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश के निर्गत होने के तीन (03) दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

पृ0सं0/प्रा0शि0/ 10716-24

/स्था0अधि0अनु0स्था0/2026-27 दिनांक:- उक्ततिथि।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01. जिलाधिकारी महोदय, पिथौरागढ़।

02. अपर जिलाधिकारी महोदय, पिथौरागढ़।

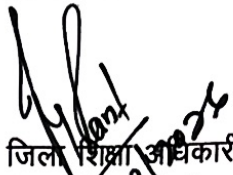
03. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।

04. मण्डलीय अपर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय:- जिला शिक्षा अधिकारी , प्रा०शि० पिथौरागढ़।

Email:- deobasicpithoragarh@gmail.com

05. मुख्य शिक्षा अधिकारी, पिथौरागढ़।
06. वित्त एवं लेखाधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा पिथौरागढ़।
07. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद पिथौरागढ़ को इस आशय से प्रेषित की स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही एकल अध्यापक/अध्यापिका विद्यालय से स्थानान्तरित शिक्षकों के प्रतिस्थानी के आने के उपरान्त ही कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में विद्यालय शिक्षक विहीन न होने पायें।
08. सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका (द्वारा सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद पिथौरागढ़)
09. स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका को इस आशय से प्रेषित कि वे एक सप्ताह के भीतर सम्बन्धित विकास खण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय से कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
10. कार्यालय सुरक्षित प्रति।


जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा पिथौरागढ़। 

कार्यालय:- जिला शिक्षा अधिकारी , प्रा0शि0 पिथौरागढ़।

Email:- deobasicpithoragarh@gmail.com

आदेश संख्या/प्रा0शि0/ 282-(3)/स्था0अधि0अनु0स्था0/2026-27 दिनांक :- 27 अगस्त, 2026

::विज्ञप्ति/स्थानान्तरण आदेश::

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम-01 वर्ष-2018) के क्रम में उक्त वर्णित अधिनियम की धारा 16(01) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर तथा उत्तराखण्ड शासन, कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 410684/XXX (2)/2026 -E 26941 दिनांक 06 जुलाई, 2026 एवं शासनादेश संख्या 410893/XXIV-B-1/2026/13(12)2011 TC-1 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-01 दिनांक 07 जुलाई, 2026 के आलोक में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून के पत्रांक- सेवा-2/1519-20/स्थानान्तरण/2026-27 दिनांक 10 जुलाई, 2026, में दिये गये निर्देशों के क्रम में स्थानान्तरण अधिनियम की उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा 17 (1) (ख) के खण्ड (पांच) में वर्णित प्राविधानों के अनुसार निम्नांकित शिक्षकों (प्रा0आ0 प्राथमिक स्तर- विधवा, विधुर, वरिष्ठ कार्मिक) को अनुरोध के आधार पर स्तम्भ 05 में अंकित विद्यालय में उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्पों के आधार पर निजी व्यय पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 सं0	शिक्षक का नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यरत विद्यालय	स्थानान्तरण विद्यालय का नाम	अनुरोध की उप श्रेणी	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07
01	श्रीमती दीपिका चौंसाली	प्रा0आ0 प्राथमिक	रा0प्रा0वि0 बिरकाणा, कनालीछीना, पिथौरागढ़।	रा0प्रा0वि0 महरखोला मूनाकोट, पिथौरागढ़।	17(1)(ख) (पाँच)	-
02	श्रीमती दीपा पुनेड़ा	प्रा0आ0 प्राथमिक	रा0प्रा0वि0 भेटा मूनाकोट पिथौरागढ़।	रा0प्रा0वि0 गैना नयादेश, मूनाकोट, पिथौरागढ़।	17(1)(ख) (पाँच)	-
03	श्री आनन्द बल्लभ भट्ट	प्रा0आ0 प्राथमिक	रा0प्रा0वि0 मेलतोला मूनाकोट पिथौरागढ़।	रा0प्रा0वि0 क्वीतड़ मूनाकोट, पिथौरागढ़।	17(1)(ख) (पाँच)	-

ह0/-

(तरुण कुमार पन्त)

जिला शिक्षा अधिकारी

प्रारम्भिक शिक्षा, पिथौरागढ़।

नोट:- स्थानान्तरित शिक्षक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश के निर्गत होने के तीन (03) दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

पृ0सं0/प्रा0शि0/ 10716-24 /स्था0अधि0अनु0स्था0/2026-27 दिनांक:- उक्ततिथि।

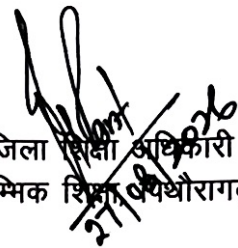
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01. जिलाधिकारी महोदय, पिथौरागढ़।
02. अपर जिलाधिकारी महोदय, पिथौरागढ़।
03. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
04. मण्डलीय अपर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
05. मुख्य शिक्षा अधिकारी, पिथौरागढ़।
06. वित्त एवं लेखाधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा पिथौरागढ़।

कार्यालय:- जिला शिक्षा अधिकारी , प्रा०शि० पिथौरागढ़।

Email:- deobasicpithoragarh@gmail.com

07. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद पिथौरागढ़ को इस आशय से प्रेषित की स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही एकल अध्यापक/अध्यापिका विद्यालय से स्थानान्तरित शिक्षकों के प्रतिस्थानी के आने के उपरान्त ही कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में विद्यालय शिक्षक विहीन न होने पायें।
08. सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका (द्वारा सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद पिथौरागढ़)
09. स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका को इस आशय से प्रेषित कि वे एक सप्ताह के भीतर सम्बन्धित विकास खण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय से कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
10. कार्यालय सुरक्षित प्रति।


जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, पिथौरागढ़।